

राजस्थान सरकार  
राजस्व (गुप-6) विभाग

क्रमांक:-प. 1(3)राज.6/2011/पार्ट/ 26

जयपुर, दिनांक:- 14-06-2016

अधिसूचना

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30) की धारा 26 की उप-धारा (2) सपटित प्रथम अनुसूची द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1(3) राज-6/ 2011/ पार्ट/13 दिनांक 16.10.2014 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि ग्रामीण क्षेत्र की दशा में निकटतम शहरी क्षेत्र सीमा से अवाप्ति हेतु प्रस्तावित परियोजना की दूरी के आधार पर देय प्रतिकर पेकेज के निर्धारण हेतु बाजार मूल्य को जिस गुणक से गुणा किया जाना है, वह गुणक निम्न अनुसार होगा:-

शहरी क्षेत्र से दूरी

गुणक जिससे बाजार मूल्य गुणित किया जावे

0-10 कि.मी. तक	1.25
10 कि.मी. से अधिक व 20 कि.मी. तक	1.50
20 कि.मी. से अधिक व 30 कि.मी. तक	1.75
30 कि.मी. से अधिक	2.00

**स्पष्टीकरण:-** जयपुर, जोधपुर व अजमेर के लिए विकास प्राधिकरणों की सीमा तक के क्षेत्र तथा विकास प्राधिकरणों से भिन्न शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका सीमा तक के क्षेत्र, जिसमें उक्त स्थानीय निकायों के निर्वाचन के समस्त वार्ड क्षेत्र सम्मिलित हैं, को शहरी क्षेत्र सीमा में माना जावेगा।

राज्यपाल के आदेश से,

(डा० कुंज बिहारी पण्ड्या)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री महोदय/राजस्व मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
3. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान।
4. समस्त सभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
6. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मूद्रणालय, जयपुर को 14-06-2016 के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।
7. शिक्षण मन्त्रालय।

संयुक्त शासन सचिव